Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 72-2026/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 13 मई, 2026
(23 वैशाख, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 19/पं०अ० 18/1961/धा० 15/2026, दिनांक 13 मई, 2026– हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन नियम, 2026.	121—122
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2026

संख्या का०आ० 19/पं०अ० 18/1961/धा० 15/2026.– हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18) की धारा 15 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में, नियम 5 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"5क. राज्य सरकार, किसी परियोजना को स्थापित करने का आशय रखने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, जिसके लिए सम्बद्ध प्राधिकारी से भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति अथवा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है और उस ऐसी भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति अथवा अनुज्ञप्ति की शर्त को पूरा करने हेतु उस परियोजना भूमि के लिए या तो कोई रास्ता नहीं है या अपर्याप्त रास्ता है, और सम्बद्ध ग्राम पंचायत के तीन चौथाई बहुमत और ग्राम सभा के दो तिहाई बहुमत से उस ग्राम पंचायत के संकल्प पर, ऐसी परियोजना भूमि तक पहुंच प्रदान करने हेतु उस पंचायत की शामलात भूमि में नया रास्ता चिह्नित कर सकती है। नया रास्ता पंचायत के स्वामित्व में होगा और सामूहिक उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। ऐसा चिह्नकरण, ऐसी परियोजना/अनुज्ञप्त क्षेत्र के पांच प्रतिशत या रास्ते के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई भूमि के आकार के चार गुणा, जो भी अधिक हो, के स्वामित्व अधिकारों के अंतरण के अध्यधीन होगा। ऐसी अंतरित भूमि, परियोजना के लिए अनुमोदित क्षेत्र का भाग होगी और पूर्ण रूप से विकसित रूप में तथा शेष परियोजना क्षेत्र में उपयोग की जा रही उपयोगिता सेवाओं की पहुंच के साथ उपलब्ध होगी। अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट की जाएं और सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा उनकी अनुपालना की जाएगी।"।

विजयेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 13th May, 2026

No. S.O.19 /P.A. 18/1961/S. 15/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Rules, 2026.

2. In the Haryana Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely: -

"5A. The State Government, on the request of a person intending to establish a project which requires Change of Land Use or licence from an authority concerned and whose project land has either no passage or an insufficient passage to fulfil the condition of such Change of Land Use or licence and on the resolutions of the concerned panchayat with 3/4th majority and of Gram Sabha with 2/3rd majority, may earmark a new passage in the shamilat land of that panchayat to give access to such project land. The new passage shall remain in the ownership of the panchayat and shall be available for common use. Such earmarking shall be subject to the transfer of ownership rights of **five percent** of such project/licensed area or four times the size of land earmarked by panchayat for passage, whichever is more. Such transferred land shall be part of the area approved for the project and shall be provided in a fully developed form and along with access to the utility services being used in the remaining project area. Other terms and conditions shall be such as may be specified by the State Government from time to time and shall be complied with by the person concerned.".

VIJAYENDRA KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

12625—L.R.—H.G.P., Pkl.